## बिहार सरकार <u>नगर विकास एवं आवास</u> विभाग <u>अधिसूचना</u>

सं०सं०-01/स्था० (न0310)-02/2017- 6728 / न<math>0वि0एवं310वि0, पटना, दिनांक-23) 18/19

जिला पदाधिकारी, किटहार के आदेश ज्ञापांक—1327 दिनांक—03.12.2019 के आलोक में श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, किटहार को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, किटहार का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0 / — (राम सेवक प्रसाद) सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (न०आ०)-02/2017 67-28 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-23)12/19 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किटहार/नगर आयुक्त, किटहार नगर निगम, किटहार/श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, किटहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई0टी८ प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

D:\Letter, 2019\Notification.docx